

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), जिला-खरगोन म.प्र.

(कार्यालय टेलीफोन नंबर-07282-232885 / E-mail ID : foodoffkhr@mp.nic.in)

// विज्ञप्ति //

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक-आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के पत्र क्रमांक 1027/प्र. स.खाद्य/2021/29-1 भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 में दिये निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नानुसार 78 दुकानविहीन ग्रामपंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकानें खोली जाने हेतु सातवें चरण हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र करने हेतु पेपर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा रहा है। इस हेतु आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	अनुविभाग का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिनमें उ.मू.दुकान खोली जाना है।
1	खरगोन	खरगोन	सोनीपुरा, मोठापुरा, साईंखेड़ा, दसंगा, निमगूल, आसनगांव, बैडियांव (कुल-07)
		सेगावां	उपडी, सतावड, गाटलाखेडी, विरला, जोगवाड़ा, सिनखेडी, महूगांव, शरदपुरा, आछलवाडी, सिलोटिया, जोजलवाडी, कमोदवाडा, देवली, जमोठी, जलगोन, (कुल-15)
		गोगावां	लाखी, शाहपुरा, सोलना, सुरपाला, जामन्या, हिरापुर, लीमवाडी, सिगनूर, देवलगांव, मेहरजा, बैजापुरा, (कुल-11)
		भगवानपुरा	बाडी खुर्द, धुलकोट, (कुल-02)
2	भीकनगांव	भीकनगांव	बडियासहेजला, बडियागोविन्दपुरा, चिरागपुरा, निमोनी, नुरियाखेडी, पत्थरवाडा, जामन्या बुजुर्ग, (कुल-07)
		झिरन्या	ढसलगांव बेडछा, पीपरखेड़नाका, भडलेन, रातलीपुरा, नीमसेठी... (कुल-06)
3	मण्डलेश्वर	महेश्वर	जलूद, मोहद, पिपल्या खुर्द, सेल, बंजारी, सिटोका, (कुल-06)
4	बड़वाह	बड़वाह	आक्या, बिंजलवाड़ा, डालची, डाल्याखेडी, ढसलगांव, फनगांव, जुलवानिया, खमकीवारूल, लौंदी(पी) बड़वाह, रूपाला, टेमला, टोकलाय, भोमवाडा (कुल-13)
5	कसरावद	कसरावद	अवरकच्छ, बलगांव, बामन्दा, बिठेर, डोंगरगांव, गोपालपुरा, हिरापुर, काटकूर, कोडापुरा, रामपुरा, सोनखेडी, झिरन्या, बार देवला, सांगवी(खामखेडा) (कुल 14)

उपरोक्तानुसार विस्तृत जानकारी वेबसाईट WWW.rationmitra.nic.in पर उपलब्ध है, जिस पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जाना है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015की कडिका 8(1) सहपठित अनुसूची "दो" में संशोधन दिनांक 11 अप्रैल, 2016 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य की दुकान आवेदन हेतु निम्नांकित संस्थाएं/समूह/समिति पात्र है :-

क- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत (1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी (4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी।

ख- महिला रव-सहायता समूह।

ग- शयुक्त वन प्रबंधन समिति।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) के कार्यालय में सम्पर्क करें। पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 920/खाद्य-2/2022 दिनांक 21/04/2022 में नियत अवधि 05/05/2022 तक सभी रिक्त स्थानों पर आवेदन प्राप्त ना होने के कारण एवं विकास खण्ड कसरावद में पूर्व प्राप्त आवेदनो पर नवीन दुकान खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही के बाद शेष रही पंचायतों हेतु विकास खण्ड कसरावद को शामिल करते हुए नियत अवधि में वृद्धि की जाती है। इच्छुक पात्र समितियां/ समूह ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30/05/2022 तक वेबसाईट WWW.rationmitra.nic.in पर दर्ज कर सकते हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी,

खरगोन म.प्र.

// 2 //


//2//

पृ क्रमांक 1025 / खाद्य-2 / 2022

खरगोन, दिनांक 10/05/2022

प्रतिलिपि: - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरगोन।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) खरगोन/भीकनगांव/बड़वाह/मण्डलेश्वर/ की ओर संलग्न निर्देश पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
- 4- उपायुक्त, सहकारिता, खरगोन।
- 5- सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय खरगोन की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 6- प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन।
- 7- जिला समन्वयक, एन. आर. एल. एम. जिला खरगोन की ओर भेज कर लेख है कि इच्छुक संस्थाओं से आवेदन करने हेतु सुचित करें।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खरगोन/सेगावां/भगवानपुरा/गोगावां/भीकनगांव/झिरन्या/बड़वाह/महेश्वर/ की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
- 9- तहसीलदार, खरगोन/सेगावां/भगवानपुरा/गोगावां/भीकनगांव/झिरन्या/सनावद/बड़वाह/महेश्वर/ की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
- 10- सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी,(समस्त)-----जिला खरगोन।
- 11- राधिव ग्राम पंचायत (समस्त)----- की ओर सूचनार्थ तथा सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।


जिला आपूर्ति अधिकारी,
खरगोन म.प्र.